IX भुगतान और निपटान प्रणालियां एवं सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रानिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने और नकदी संव्यवहार कम करने वाली सामाजिक व्यवस्था के विज़न के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक देश में सुरक्षित, समावेशी और कुशल भुगतान प्रणालियां विकसित करने के प्रयास में निरंतर लगा हुआ है। एटीएम लेनदेनों, प्रीपेड भुगतान लिखतों, व्हाइट लेबल एटीएम और छोटे मूल्य के संपर्क-रहित कार्ड द्वारा प्रस्तुत भुगतानों से संबंधित नीतियों के युक्तीकरण की दिशा में किए गए प्रयास इसमें शामिल हैं। इनके अलावा, बिल भुगतानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने और एमएसएमई बिल भुनाने के क्षेत्र में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) हेतु नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अनेक आंतरिक आईटी उपाय भी प्रारंभ किए हैं।

भुगतान और निपटान प्रणालियां विभाग

IX.1 भली प्रकार से विकसित किसी वित्तीय प्रणाली के लिए कुशल और सुरक्षित भुगतान और निपटान प्रणालियां महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों के मामले में यह विभाग रिज़र्व बैंक का नोडल बिंदु है, जिसका ध्यान नकदी का कम संव्यवहार करने वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर प्रस्थान करना और इलेक्ट्रानिक लेन-देनों की कुशलता और सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही साथ परिचालनों की सहजता में सुधार भी लाना है। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिस पर जोर दिया गया है, वह है अंतर-परिचालनीय भुगतान प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के जरिए वित्त तक पहुंच बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान प्रणाली संबंधी गतिविधियों के लिए मजबूत विधिक आधार प्रदान करना। बाधा रहित वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक कई वर्षों से नियमित आधार पर भुगतान और निपटान प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नकद और कागज आधारित लेन-देनों से इलेक्ट्रानिक रूप में भुगतानों की ओर क्रमिक झुकाव हो रहा है। इन सब उपायों को करते समय रिज़र्व बैंक ने प्रौद्योगिकी में होने वाले विकास को ध्यान में रखा और भुगतानों के वातावरण में नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाया।

भुगतान प्रणालियों में रुझान और प्रगति

IX.2 इलेक्ट्रानिक भुगतानों में अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप 2014-15 में इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों ने लेन-देन की उच्च मात्रा दर्ज की (सारणी IX.1) तदनुसार, कागज़-आधारित समाशोधन प्रणालियों द्वारा प्रसंस्कृत किए गए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य दोनों संदर्भों में निरंतर गिरावट दिखाई पड़ी। समग्र रूप से भुगतान और निपटान प्रणालियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में मात्रात्मक रूप से 27.1 प्रतिशत की उच्चतर और मूल्य के संदर्भ में 5.4 प्रतिशत की निम्नतर संवृद्धि दर्ज की।

कागज़ी समाशोधन

IX.3 कुल लेन-देनों की तुलना में कागज़-आधारित लेन-देनों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में कम होती जा रही है। मात्रा के रूप में, 2014-15 के दौरान हुए कुल लेन-देनों की तुलना में कागज़-आधारित लेन-देनों का प्रतिशत 25.4 ही था, जो पिछले वर्ष के 33.9 प्रतिशत की तुलना में कम था। मूल्य के रूप में भी उनके हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से कम होकर 5.4 प्रतिशत रह गई।

इलेक्ट्रानिक खुदरा भुगतान

IX.4 इलेक्ट्रानिक खुदरा भुगतानों में कवरेज और उपयोग दोनों के संदर्भ में संवृद्धि प्रोत्साहित करने वाली रही है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण(एनईएफटी) सुविधा, व्यापार संवाददाता (बीसी) केंद्रों के अलावा, 161 बैंकों की 121,845 शाखाओं में उपलब्ध थी।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	68.5	81.1	92.8	676,841.0	734,252.4	754,032.4
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2 + 3 + 4)	**2.3**	**2.6**	**3.0**	**501,598.5**	**621,569.6**	**672,455.6**
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	120,480.4	175,261.9	167,646.0
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.7	0.9	1.0	119,948.0	161,848.2	179,372.0
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.4	1.5	1.8	261,170.1	284,459.5	325,437.6
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	**70.8**	**83.7**	**95.7**	**1,178,439.5**	**1,355,822.0**	**1,426,488.0**
खुदरा भुगतान						
कुल कागज़ी समाशोधन (5+6+7)	**1,313.7**	**1,257.3**	**1,195.8**	**100,181.8**	**93,316.0**	**85,439.3**
5. चेक ट्रंकेशन प्रणाली	275.0	591.4	964.9	21,779.5	44,691.4	66,769.9
6. माइक्र समाशोधन	823.3	440.1	22.4	57,504.0	30,942.8	1,850.4
7. गैर-माइक्र समाशोधन	215.3	225.9	208.5	20,898.3	17,681.8	16,819.0
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	**694.1**	**1,108.3**	**1,687.4**	**31,881.1**	**47,856.3**	**65,365.5**
8. ईसीएस नामे	176.5	192.9	226.0	1,083.1	1,268.0	1,739.8
9. ईसीएस जमा	122.2	152.5	115.3	1,771.3	2,492.2	2,019.1
10. एनईएफटी	394.1	661.0	927.6	29,022.4	43,785.5	59,803.8
11. त्वरित भुगतान सेवा (आइएमपीएस)	1.2	15.4	78.4	4.3	95.8	581.9
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	-	86.5	340.2	-	214.8	1,220.9
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	**932.6**	**1,261.8**	**1,737.7**	**2,052.1**	**2,575.4**	**3,324.5**
13. क्रेडिट कार्ड	396.6	509.1	615.1	1,229.5	1,539.9	1,899.2
14. डेबिट कार्ड	469.1	619.1	808.1	743.4	954.5	1,213.4
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआइ)	66.9	133.6	314.5	79.2	81.0	211.9
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15 तक)	**2,940.3**	**3,627.4**	**4,620.9**	**134,115.0**	**143,747.7**	**154,129.3**
कुल जोड़ (1 से 15)	**3,011.1**	**3,711.1**	**4,716.6**	**1,312,554.5**	**1,499,569.7**	**1,580,617.3**

:- लागू नहीं

नोट: 1. आरटीजीएस में मात्र ग्राहक और अंतरबैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. संपार्श्वीकृत उधार तथा ऋण देयताओं (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से किया जाता है।

3. चेकों की समस्त मात्रा को चेक संसाधन केंद्रों में अंतरित कर देने से देश में अब कोई चुबंकीय स्याही चिह्न पहचान (माइक्र)चेक संसाधन केंद्र (सीपीसी) नहीं हैं।

4. कार्ड के आंकड़े सिर्फ बिक्री बिंदु पर किए गए लेनदेनों से संबंधित हैं।

5. एनएसीएच प्रणाली एनपीसीआइ द्वारा (29 दिसंबर 2012 में) शुरू की गई थी ताकि अंतरबैंक, बड़ी मात्रा वाले, इलेक्ट्रानिक लेनदन जो दोहराने योग्य और आवधिक स्वरूप के हैं, के लिए सुविधाजनक हो सके।

6. हो सकता है कि संख्या का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े मेल न खाते हो।

2014-15 में एनईएफटी ने लगभग ₹60 ट्रिलियन मूल्य के 928 मिलियन लेन-देनों का निष्पादन किया, जबकि कि पिछले वर्ष ₹44 ट्रिलियन मूल्य के 661 मिलियन लेन-देन निष्पादित किए गए थे। केवल मार्च, 2015 माह में ही एनईएफटी ने अब तक की सबसे अधिक मात्रा 106 मिलियन लेन-देनों का निष्पादन किया।

IX.5 थोक इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों (इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं(ईसीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह का जोड़) के संबंध में भी वृद्धि का रुझान दृष्टिगत होता है। बैंकों ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई) द्वारा चलाई जा रही एनएसीएच और रिज़र्व बैंक द्वारा चलाई जा रही ईसीएस दोनों ही सुविधाओं का उपयोग करना जारी रखा।

IX.6 जहां तक कार्ड लेनदेनों का संबंध है, 2014-15 के दौरान, क्रेडिट कार्डों के जरिए लगभग ₹1.9 ट्रिलियन मूल्य के 615 मिलियन लेनदेन निष्पादित किए गए, जबकि डेबिट कार्डों

के जरिए ₹1.2 ट्रिलियन मूल्य के 808 मिलियन लेन-देन व्यहत किए गए। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई)में उल्लेखनीय इज़ाफा देखने को मिला, इनके जरिए ₹212 बिलियन मूल्य के 314 मिलियन लेन-देन रिकार्ड किए गए। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, जो भुगतान विकल्पों में अपेक्षाकृत नई हैं, उन्होंने भी उत्सावर्धक वृद्धि दर्ज की है और उन्होंने वर्ष के दौरान ₹1 ट्रिलियन मूल्य के 171 मिलियन लेन-देनों को निष्पादित किया।

2014-15 के लिए कार्यसूची: क्रियान्वयन स्थिति

मोबाइल बैंकिंग

IX.7 2014-15 की कार्यसूची के एक भाग के रूप में, यह योजना बनाई गई थी कि मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और आवश्यक आधारभूत कार्य किए जाएंगे ताकि हितधारकों को शामिल किया जा सके और बैंकों के बीच मोबाइल बैंकिंग के लिए मानक एप्लीकेशन लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने, ग्राहकों को शामिल करने, लेनदेनों की सुरक्षा और ग्राहक शिकायतों के लिए मानकों को निर्धारित किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में दिसंबर 2014 में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि देश में मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ाया जा सके। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए सरल पंजीकरण संबंधी विकल्पों को अपने ग्राहकों को एटीएम के माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाए ताकि इस प्रकार की सेवाओं के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके।एनपीसीआई, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच नेटवर्क (एनएफएस) पर एटीएम के जरिए मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में है, एनपीसीआई को सूचित किया गया था कि वो ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) प्लैटफार्म (एनयूयूपी) के संदर्भ में, बैंकों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) के बीच उद्योग सहमतियों हेतु मानक तय करें।

व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस)

IX.8 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तीव्र और कुशल वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्ताव किया गया था कि एक इलेक्ट्रानिक टीआरईडीएस बनाया जाए ताकि एमएसएमई, उनके कारपोरेट क्रेताओं और साथ ही उनके वित्तपोषकों, को निकट लाया जा सके, और चलनिधि के प्रबंधन में एमएसएमई क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही बाधाओं को कम किया जा सके। टीआरईडीएस में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) सहित कारपोरेट क्रेता प्रतिभागी होंगे। यह प्रणाली प्राप्तियों के साथ ही साथ देयताओं की फैक्टरिंग की सुविधा भी प्रदान करेग। तदनुसार, टीआरईडीएस को बनाने के लिए नीतिगत उपाय किए गए। टीआरईडीएस को बनाने के लिए सात आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी संवीक्षा की जा रही है ताकि भुगतान और निपटान प्रणालियां (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत 2015-16 के दौरान उनको प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सके।

भारत बिल भुगतान प्रणालियां (बीबीपीएस)

IX.9 2014-15 के लिए निर्धारित कार्यसूची के अनुसार नवंबर 2014 में बीबीपीएस के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। बीबीपीएस को एनपीसीआई द्वारा संपूर्ण-भारत हेतु एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली के रूप पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत विकसित किया जा रहा है जो एजेंट्स के नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को अंतर-परिचालनीय और सुगम बिल भुगतान सेवाओं की पेशकश करेगा। ऐसी आशा है कि यह ग्राहकों, जिन्हें अपने बिल भुगतान करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों (संबंधित बिल प्रदाताओं द्वारा एक ही स्थान पर) का उपयोग करना पड़ता है, को अपना बिल भुगतान करने में पेश आ रही समस्याओं को दूर करेगा। भारत बिल भुगतान केंद्रीय यूनिट(बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए एनपीसीआई को प्राधिकृत करने और भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट (बीबीपीओयू) को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया 2015-16 के दौरान पूरी कर ली जाएगी।

भुगतान प्रणालियों का समेकन

IX.10 ईसीएस समूह और एनएसीएच एक समान सेवाएं ही उपलब्ध कराते हैं। 2014-15 की कार्यसूची में जैसा कि उल्लेख किया गया था, ईसीएस समूह से लेन-देनों की मात्रा को एनएसीएच में दिसंबर 2014 से अंतरित कर भुगतान प्रणालियों के समेकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस प्रकार, लगभग सभी प्रतिभागी अब एनएसीएच प्रणाली के साथ जुड़ गए हैं।

2014-15 के दौरान अन्य गतिविधियां

IX.11 इलेक्ट्रानिक भुगतानों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विभाग के उद्देश्य के अनुसरण में वर्ष के दौरान निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए।

इंफ्रास्ट्रक्चर/सेवा प्रदाताओं का विस्तार

IX.12 भुगतान विकल्पों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 9 निकायों को प्राधिकार जारी किए गए जिससे 2014-15 में प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। पीपीआई चलाने के लिए 2014-15 में 5 निकायों के जुड़ने से उनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई। शेष चार निकायों को धनांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) (सीमा-पार आनेवाले विप्रेषण) और तत्काल धन अंतरण के लिए प्राधिकृत किया गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 7881 डब्ल्यूएलए थे जिसमें से 4,932 टियर III से टियर VI केंद्रों में थे।

IX.13 बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा प्रदाताओं के साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप परिचालित हों। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान प्रणालियों कि लिए एक मूल्यांकन टेंपलेट बनाया है। गैर-बैंक निकायों को टेंपलेट के अनुसार स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सुरक्षा और कुशलता

IX.14 भुगतान प्रणालियों के विकास में भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और कुशलता महत्वपूर्ण होती है, एनईएफटी प्लैटफार्म को डेटा केंद्र संरचना के तहत यूनिक्स प्लैटफार्म पर अंतरित किया गया जिससे न केवल प्रसंस्करण क्षमता में इज़ाफा हुआ बल्कि इसने व्यापार निरंतरता की चिंता को भी समाप्त कर दिया। इसी प्रकार, बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों के संबंध में पुनःनिर्मित तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में हाईब्रिड विशेषताओं को सक्रिय करने से जहां लेन-देनों का निपटान सकल आधार पर करने की सुविधा मिली वहीं इसके साथ ही बहुपक्षीय प्रति-संतुलन भी संभव हो गया। इसके अलावा, कुशलता और ग्राहक सेवा पक्ष को सुधारने के लिए, निपटान हेतु भावी दिनांकित लेन-देनों (तीन व्यापारिक दिनों तक) की स्वीकार्यता को सक्रिय कर दिया गया है और आरटीजीएस के व्यापारिक घंटों को बढ़ा दिया गया है।

IX.15 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में कुछ जोखिमों को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय समाशोधन निगम लिमिडेट (सीसीआईएल) ने कई उपाय किए। सीसीआईएल ने अपने अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देनों के यूएसडी-भारतीय रुपए संबंधी निपटान को अप्रैल 2015 में भुगतान *बनाम* भुगतान (पीवीपी) में अंतरित करके हर्सटैट जोखिम[1] को दूर किया है। इसने विदेशी मुद्रा वायदा क्षेत्र में पोर्टफोलिओ कंप्रेशन के अपने पहले चक्र को पूरा करते हुए लगभग 62 प्रतिशत कंप्रेशन प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार प्रतिपक्षी एक्सपोजर को कम किया है। सीसीआईएल ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)/वायदा दर करार(एफआरए) व्यापारों के लिए ऑनलाइन आधार पर विदेशी मुद्रा वायदा में रुपए के डेरीवेटिव हिस्से में एक्सपोज़र की भी जांच कर रहा है जो कि समय रहते मार्जिन की पर्याप्तता का पता लगाने की सुविधा देता है और इस प्रकार सीसीआईएल द्वारा किए गए व्यापारों के अस्वीकृत होने के जोखिम को कम करता है।

ग्राहक सहूलियत और नवोन्मेष

IX.16 भुगतान प्रणाली के उपयोग में सहूलियत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और इलेक्ट्रानिक भुगतानों में अंतरण की भी सुविधा देने के लिए पीपीआईज़, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम उपयोग और अभिप्रमाणन के लिए अतिरिक्त कारक (एएफए[2]) से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।

IX.17 पीपीआईज़ को जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों को दिसंबर 2014 में युक्तिसंगत बनाया गया था ताकि इनके उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। पूर्ण-केवाईसी के

[1] किसी एक पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में बेची गई मुद्रा का भुगतान कर देना परंतु खरीदी हुई मुद्रा में भुगतान प्राप्त न कर पाने को विदेशी मुद्राविनिमय निपटान में जोखिम या ''हर्सटैट'' जोखिम कहा जाता है।

[2] एएफए एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता पहचान के लिए अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसमें से एक प्रमुख रुप से भौतिक टोकन होता है, जैसे कि एक कार्ड और दूसरी व्यवस्था में इसे स्मरण करना होता है, जैसे कि एक सुरक्षा कोड।

लिए आंशिक -बंद पीपीआईज़ के लिए सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹100,000 कर दिया गया; उपहार कार्डों के लिए वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया; पूर्ण रूप से केवाईसी अनुपालित बैंक खातों से आश्रित परिवार सदस्यों के लिए कई पीपीआईज़ जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई। देश में आने वाले विदेशी नागरिकों और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को सहूलियत देने के लिए और इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले नकद लेन-देनों को कम करने के लिए बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे विदेशी नागरिकों और एनआरआईज़ को भारत में रुकने के दौरान रुपए में अंकित खुली प्रणाली वाले पुनः न भर सकने वाले पीपीआई जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के पीपीआईज़ के लिए ₹200,000 के साथ ₹50,000 प्रतिमाह की नकद आहरण सीमा अनुमत की गई है।

IX.18 डब्ल्यूएलए के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई ताकि डायनमिक मुद्रा परिवर्तन (डीसीसी) की सुविधा के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्डों की स्वाकार्यता अनुमत की जा सके। डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों को अब यह अनुमति दी गई है कि वे अपने प्रायोजक बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ डब्ल्यूएलए को नकदी आपूर्ति हेतु संबंध स्थापित कर सकते हैं।

IX.19 कार्ड लेन-देनों की सुरक्षा तथा सहूलियत के पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानने के लिए, एएफए की अपेक्षा जिसे सुरक्षा परिचालनों हेतु पूर्व में लागू किया गया था से छोटे मूल्य के प्रस्तुत कार्ड लेन-देनों के लिए छूट प्रदान की गई जिसमें संपर्क रहित (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा) ईएमवी चिप कार्ड का उपयोग किया गया। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे समुचित वेग (वेलॉसिटी) नियंत्रण की व्यवस्था रखने के साथ ही साथ ग्राहक पर लगने वाली अधिकतम देयता, यदि कोई हो, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

कम नकदी संव्यवहार की ओर जाना

IX.20 अंतरपरिचालनीय एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक रूप से एटीएम के फैलाव को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में एटीएम से होने वाले अनिवार्य मुफ्त लेन-देनों को युक्तिसंगत बनाया गया। अब से, 6 मेट्रो केंद्रों पर बचत खाता धारकों के लिए अन्य बैंकों की एटीएम पर मुफ्त लेन-देनों की न्यूनतम संख्या को प्रतिमाह पांच से घटाकर तीन कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बचत खाता धारकों को अपनी स्वयं की एटीएम पर प्रतिमाह कम-से-कम पांच मुफ्त लेन-देन मुहैया कराएं। अनिवार्य मुफ्त एटीएम लेन-देनों के अलावा किए गए लेन-देनों के लिए बैंकों को अपने ग्राहकों से अधिकतम ₹20 प्रति लेन-देन(सेवा कर अतिरिक्त) तक प्रभार लेने की अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, एटीएम पर और अधिक बार मुफ्त लेन-देन की पेशकश करने के लिए बैंक अपनी स्वयं की नीतियां बना सकते हैं।

ठोस विधिक ढांचा और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अनुपालन

IX.21 भुगतान प्रणालियों के लिए एक ठोस विधिक ढांचा होना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसरण में पीएसएस अधिनियम 2007 में कुछ संशोधन लागू किए गए।

IX.22 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एक्सचेंज से इतर (ओटीसी) डेरीवेटिव बाजारों को मजबूत बनाने के लिए व्यापार निक्षेपागारों (टीआर) तथा विधिक निकाय पहचान प्रणाली (एलईआई) को दिए जाने वाले महत्व में तेजी आई। इसके अलावा, केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) कार्यप्रणाली और इसके दिवालिया होने की स्थिति में विधिक निश्चितता भी महत्वपूर्ण है। किसी सीसीपी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में क्लोज आउट नेटिंग को विशिष्ट विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एवं इसके साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा टीआर तथा स्थानीय परिचालन यूनिट (एलओयू-एलईआई जारी करने के लिए एक निकाय) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भी पीएसएस अधिनियम, 2007 में-राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद, जिसमें बैंक ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें अपेक्षित संशोधन किए गए ताकि सीसीपी के दिवालिएपन की स्थिति में क्लोज़-आउट नेटिंग; टीआर के विनियमन एवं पर्यवेक्षण; एलईआई प्रणाली के तहत एलओयू और प्राधिकृत गैर-बैंक निकायों द्वारा परिचालित प्रणालियों के लिए ग्राहक निधि की सुरक्षा जैसे विभन्न मुद्दों पर विधिक सहायता/ स्पष्टता प्रदान की जा सके।

IX.23 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों को केंद्र बिंदु में रखने के संदर्भ में, वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) द्वारा वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांतों(पीएफएमआई) के अनुपालन की दिशा में प्रयास किए गए। इस उद्देश्य के प्रति भुगतान और बाजार

इंफ्रास्ट्रक्चर समिति-प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ), जो पीएफएमआई के प्रति प्रथम स्तर[3] का मल्यांकन कर रहा है, ने भारतीय न्यायाधिकार क्षेत्र को '4'[4] की रेटिंग दी है अर्थात् अंतिम कार्यान्वयन उपाय पूर्ण रूप में लागू हैं।

अन्य उपाय

IX.24 विभाग ने नवंबर 2014 में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कोवलम, केरल में आयोजित किया, इसका मुख्य फोकस खुदरा भुगतानों में केंद्रीय बैंकों की बढ़ती भूमिका, नकदी से नकदी रहित वातावरण, खुदरा भुगतानों में गैर-बैंकों की भूमिका, खुदरा भुगतानों में नवोन्मेष, सरकारी भुगतान एवं विप्रेषण, जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन था। दिसंबर 2014 में एक 'भुगतान प्रणालियां नवोन्मेष दिवस' आयोजित किया गया ताकि भुगतान प्रणालियों में होने वाले विविध नवोन्मेषों के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने मई 2015 के दौरान उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों पर 14वीं एसईएसीईएन उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसका विशिष्ट फोकस, 'सायबर अपराध में भुगतान प्रणालियों की आघात-सहनीयता' पर था।

2015-16 के लिए कार्य-सूची

IX.25 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता रहेगा और एक सुविधाप्रदाता की भूमिका का निर्वाह करेगा जिसका फोकस भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और कुशलता पर बना रहेगा। भुगतान परिदृश्य में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम को देखते हुए रिज़र्व बैक आगामी 2/3 वर्षों की अवधि के लिए एक विज़न दस्तावेज तैयार करेगा। टीआरडीएस और बीबीपीएस के परिचालन के लिए निकायों को प्राधिकृत करने के संबंध में कार्य 2015-16 में पूरा किया जाएगा।

IX.26 नकद लेन-देनों को हतोत्साहित करने और कार्ड लेन-देनों को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास के क्रम में अधिग्राहक बैंकों द्वारा कार्ड स्वीकार्यता इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की जांच की जाएगी और सभी हितधारकों के साथ विचार करके अंतरपरिवर्तन/व्यापारी बट्टा दर (एमडीआर) के साथ ही एटीएम तथा पीओएस पर नकदी संबंधी ढांचे की समीक्षा की जाएगी।

IX.27 देश में ई-कॉमर्स का दायरा बढ़ने के साथ ही भुगतान समायोजकों और बिचौलियों की भूमिका में भी इज़ाफा हो रहा है। रिज़र्व बैंक हितधारकों के साथ संपर्क बढ़ाएगा ताकि प्रत्यक्ष/परोक्ष विनियामकीय ढांचे की आवश्यकता/ व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। पीएफएमआई के प्रति रिज़र्व बैंक द्वारा 2015-16 में आरटीजीएस का मूल्यांकन किया जाएगा।

IX.28 विनियामकीय पर्यवेक्षण समिति (आरओसी) द्वारा सीसीआईएल को एलईआई जारी करने के लिए एलओयू के रूप में चिह्नित किया गया है और पूर्व-एलओयू के रूप में माना गया है। इसने भारत में एलईआई जारी करना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के साथ परामर्श करके एलईआई के उपयोग के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

IX.29 रिज़र्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का सक्षम प्रयोग करने संबंधी अपने विज़न पर फोकस बनाए रखा और इसका प्रयोग बैंक के परिचालनों में समग्र रूप से कुशलता लाने, इसके ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार करने, प्रशासन को सुदृढ़ करने और सुरक्षित एवं महफूज़ आईटी आधारित वातावरण में विश्लेषण एवं सूचना आधारित निर्णयन प्रक्रिया की सुविधा देने के लिए किया। केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटीएससी) इस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक बनी रही। 2014-15 के दौरान आईटीएससी की तीन बैठकें हुई और इसने रिज़र्व बैंक में आईटी परियोजनाओं और सूचना सुरक्षा; डेटा भंडागार (वेयरहाउस); सूचना सुरक्षा से संबंधित लेखापरीक्षाओं; डेटा केंद्रों (डीसी) के परिचालनों; आपदा

[3] क्या न्यायाधिकार क्षेत्रों ने एफएमआई के लिए लागू विनियामकीय ढांचे के भीतर प्राधिकरणों हेतु पांच उत्तरदायित्वों में से चार और एफएमआई के लिए 24 सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु विधेयक तथा अन्य नीतियों को अपनाने की प्रक्रिया को पूरा किया है।

[4] रेटिंग स्तर 1: कार्यान्वयन उपायों का मसौदा प्रकाशित नहीं; रेटिंग स्तर 2: कार्यान्वयन उपायों का मसौदा प्रकाशित; रेटिंग स्तर 3: अंतिम कार्यान्वयन उपाय प्रकाशित; रेटिंग स्तर 4: अंतिम कार्यान्वयन उपाय पूर्णतया लागू ; रेटिंग स्तर लागू नहीं: किन्ही भी कार्यान्वयन उपायों की आवश्यकता नहीं (अर्थात् लागू नहीं)।

उद्धार कवायदों की क्षमता; और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

इंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (ईकेपी)

IX.30 पुनःसंरचित ईकेपी को नवंबर 2013 में प्रारंभ किया गया, यह रिज़र्व बैंक के भीतर ज्ञान साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। 2014-15 के दौरान पोर्टल को ई-अध्ययन मॉड्यूल्स जैसी विशेषताओं के साथ समृद्ध किया गया और खोज विकल्पों में सुधार किया गया। उपयोगकर्ताओं का इसे अच्छा प्रतिसाद मिला जिससे पोर्टल के उपयोग स्तर में वृद्धि हुई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली

IX.31 2013-14 में बैंक में वीसी को अपग्रेड किया गया था, इसके उपयोग में काफी बड़े स्तर पर वृद्धि देखी गई; 2014-15 के दौरान बिंदुवार प्रयोक्ता आधारित सत्रों के अलावा, विभिन्न स्थानों को शामिल करते हुए 532 वीसी सत्र संचालित किए गए। इससे भौतिक बैठकों की आवश्यकता में कमी आई है।

मेल संदेश प्रणाली(एमएमएस)

IX.32 रिज़र्व की कारपोरेट मेल मेसजिंग प्रणाली को उन्नत अभिलेखीय समाधान के साथ पुनः मजबूत बनाया गया और इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। वर्ष के दौरान हार्डवेयर को अपग्रेड करने का कार्य किया गया और उसको इंस्टाल करने के बाद नई प्रणाली में अंतरित होने की प्रक्रिया सितंबर 2015 तक पूरी होने की आशा है।

डेटा मानकीकरण पर समिति

IX.33 डेटा मानकीकरण के संबंध में एक समिति (समन्वयकः श्री पी.पार्थसारथी) गठित की गई थी ताकि डेटा रिपोर्टिंग और डेटा मानकीकरण के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों में सहक्रियता तथा एकरूपता लाई जा सके। इस समिति ने फीडबैक लेने के लिए अपनी रिपोर्ट का मसौदा सार्वजनिक डोमेन में डाल था। प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसके द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ हो गया है।

कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) को बढ़ाना और ई-ट्रेज़री को स्थिर बनाना

IX.34 रिज़र्व बैंक के सीबीएस, ई-कुबेर को बैंकों के लिए 2012 में प्रारंभ किया गया था ताकि वे सरकारी उधार कार्यक्रमों, चलनिधि समायोजन परिचालनों और चालू खाता परिचालनों में भाग ले सकें। वर्ष के दौरान, ई-कुबेर में परिवर्तन किए ताकि सरकार के नकद शेषों को नियोजन किया जा सके (अध्याय VIIभी देखें)। जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता (डीईए) निधि योजना ई-कुबेर में प्रारंभ में लागू की गई थी, जिससे दो दिनों के भीतर लगभग ₹45 बिलियन निधि का प्रवाह हुआ था। बैंक के बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) के कोषागार परिचालनों को सफलता पूर्वक पुरानी प्रणाली से ई-कुबेर में अंतरित कर दिया गया। यह क्रियान्वयन विश्व के केंद्रीय बैंकों में अपनी प्रकार का पहला था, जिसने परिचालनगत कार्यकुशलता और लेखाविधि की प्रक्रियाओं में एकरूपता ला दी।

2015-16 के लिए कार्यसूची

IX.35 2015-16 के लिए निर्धारित प्रमुख उपायों को नीचे वर्णित किया गया है:-

बैंक की एक आईटी अनुषंगी की स्थापना करना

IX.36 बैंकिंग में बड़े स्तर की आईटी प्रक्रियाओं के एकीकरण के चलते केंद्रीय बैंकिंग के परिचालनों में वृहद परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तित होते वातावरण में बढ़ती हुई जटिलताओं और सायबर सुरक्षा तथा अन्य संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का एक समर्पित दल निरंतर इस कार्य के साथ जुड़ा रहे। इस दिशा में बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने बैंक की एक आईटी अनुषंगी का निर्माण करने का अनुमोदन किया है। इस प्रयास को उद्योग जगत के विशेषज्ञों की देख-रेख में आगे बढ़ाया जा रहा है।

बैंक में ईडीएमएस को लागू करना

IX.37 बैंक में कार्य प्रक्रियाओं का बड़े स्तर पर इलेक्ट्रानिफिकेशन करने की दिशा में और 'कम कागज़' वाले कार्यालयीन वातावरण की ओर जाने के लिए उपाय किए गए ताकि डेटा भंडारण के साथ इलेक्ट्रानिक वर्क फ्लो और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का निर्माण किया जा सके। ईडीएमएस परियोजना पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी और यह प्रगति पर है। बैंक की समग्र कार्य कुशलता पर ईडीएमएस की विशाल क्षमताओं और अपने स्टाफ को ज्ञान के साथ सशक्तिकरण करने में इसकी भूमिका को देखते हुए, बाजार में उपलब्ध विविध सॉफ्टवेयर उत्पादों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त एक विस्तृत व्यापारिक री-इंजीनियरिंग प्रक्रिया (बीपीआर) प्रारंभ की गई है। ऐसी आशा की जा रही है कि 2016 की प्रथम छमाही के दौरान इसको प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

डेटा केंद्रों (डीसी) पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पुनर्रचना

IX.38 डीसी से एप्लीकेशन प्रणालियों के बढ़ने के साथ ही और विद्युत शक्ति की उच्चतर आवश्यकता होने से यह आवश्यक हो गया है कि डीसी के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए। वातावरणीय अनुकूलता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर सर्वर्स के वर्चुअलाइजेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में वर्ष के दौरान आरटीजीएस प्रणाली को एक नए आईबीएम मेनफ्रेम प्रणाली पर अंतरित कर दिया गया।

आईएसओसी का क्रियान्वयन

IX.39 उद्यम-वार आईटी सुरक्षा की देखभाल के लिए आईएसओसी का निर्माण किया जा रहा है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) द्वारा परियोजना का प्रारंभ किया गया और इसके बाद संभावित बोलीकर्ताओं को छांटा गया। निविदा की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इस परियोजना के अप्रैल 2016 में पूर्ण होने की आशा है।

ई-कुबेर सीबीएस का उपयोग करते हुए सभी राज्यों में ई-रसीदों और ई-भुगतानों का विस्तार

IX.40 ई-कुबेर की मानकीकृत ई-रसीद और ई-भुगतान संबंधी सुविधा अधिकतर राज्यों को प्रदर्शित कर दी गई और हाल ही में राज्य के वित्त सचिवों के सम्मेलन में भी इसे दिखाया गया। इसके फलस्वरूप, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों ने 2014-15 में इस प्रणाली का उपयोग प्रारंभ कर दिया। अन्य राज्य इसके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 2015-16 में सभी प्रमुख राज्यों में इस प्रणाली का उपयोग बढ़ाने पर फोकस केंद्रित करते हुए प्रयास किए जाएंगे।

सीबीएस के साथ एकीकृत मुद्रा प्रबंधक कार्यप्रणाली

IX.41 मुद्रा संचरण की गणना करना और उसकी रिपोर्ट करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसे ई-कुबेर के साथ जोड़ा जाना है। प्रणालीगत अपेक्षाओं, रिवर्स प्रस्तुतीकरण, विचार-विमर्श, डिज़ाइन, विकास, परीक्षण और मॉड्यूलों को प्रारंभ करने संबधी अध्ययन किए जाएंगे ताकि 2015-16 के दौरान इसे एकीकृत किया जा सके।